मै0 रमाला सहकारी चीनी मिल्स लि0, रमाला तहसील बड़ौत जनपद बागपत द्वारा कार्यरत इकाई में 2750टीसीडी से बढ़ाकर 5000टीसीडी गन्ने की पेराई कर चीनी उत्पादन तथा 27 मेगावाट कोजनरेशन पावर प्लांट लगाने हेतु दिनांक–01/03/2019 को सम्पन्न पर्यावरणीय स्वीकृति की लोकसुनवाई का कार्यवृत्त।

उपरोक्त विषयक परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने विषयक मै0रमाला सहकारी चीनी मिल्स लि0, रमाला जनपद बागपत के आवेदन पत्र पर सम्यक विचारोपरांत बोर्ड द्वारा पत्र संख्या–एच30966/सी–3/एनओसी–566/मेरठ/2018 दिनांक–09/1/2019 जो कि जिलाधिकारी, बागपत को संबोधित है तथा क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ को पृष्ठांकित है के निर्देशों के अनुपालन में जिलाधिकारी , बागपत से लोकसुनवाई आयोजित करने संबंधी दिनांक, स्थान व समय नियत करने हेतु क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ के अनुरोध पर जिलाधिकारी, बागपत द्वारा दिनांक–01/3/2019 को परियोजना स्थल, मै0रमाला सहकारी चीनी मिल्स के परिसर में लोकसुनवाई नियत की गयी । पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 उपधारा (1)(2) के अंतर्गत पर्यावरण समाघात अधिसूचना संख्या–एसओ 1533 दिनांक–14/09/2006 यथासंशोधित प्राविधानों के अंतर्गत नियत दिनांक से 01 माह पूर्व दैनिक समाचार पत्रों में दिनांक–18/1/2019 को लोकसुनवाई सूचना की विज्ञप्ति प्रकाशित करायी गयी थी ।

दिनांक–01/03/2019 को जिलाधिकारी, बागपत द्वारा अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0) की अध्यक्षता में लोकसुनवाई का आयोजन मै0 रमाला सहकारी चीनी मिल्स लि0, ग्राम रमाला तहसील बड़ौत जनपद बागपत के परिसर में आयोजित की गयी । उक्त लोकसुनवाई में निम्नांकित सदस्य उपस्थित थे–

1. श्री अनिल कुमार मिश्र, अपर जिलाधिकारी, बागपत ।
2. श्री आर0के0त्यागी, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ ।

इसके अतिरिक्त निम्न व्यक्ति/पदाधिकारी भी उपस्थित थे–

1. श्री विनोद कुमार, प्रधान प्रबंधक, रमाला सहकारी चीनी मिल, रमाला ।
2. श्री सुनील कुमार ओहरी, प्रधान प्रबंधक, रमाला सहकारी चीनी मिल, रमाला ।
3. श्री प्रखर कुमार कटियार, सहा0पर्या0अभियंता, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ ।
4. डा0ए0के0गुप्ता, परामर्शी, श्री इन्वायरमेंटल टैक्नोलाजी, नई दिल्ली ।
5. श्री एस0पी0सिंह, अवर अभियंता, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ ।

एवं आसपास के क्षेत्रों के नागरिक उपस्थित थे । उपस्थित पंजिका संलग्न है।

सर्वप्रथम क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ द्वारा परियोजना के संबंध में संक्षिप्त विवरण एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय , भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–1533 दिनांक–14/9/2006 के प्राविधानों के अनुसार लोकसुनवाई कराये जाने के संबंध में उपस्थित क्षेत्रवासियों को अवगत कराया गया तथा पैनल के अध्यक्ष की अनुमति से लोकसुनवाई को प्रारम्भ करते हुये उद्योग के पर्यावरणीय सलाहकार से तकनीकी/पर्यावरणीय बिन्दुओं पर जानकारी देने हेतु अनुरोध किया गया जिससे कि लोकसुनवाई में उपस्थित क्षेत्रवासी परियोजना के संबंध में अपनी आपत्ति/आक्षेप/सुझाव प्रस्तुत कर सकें ।

तदोपरांत उद्योग के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा प्रोजेक्ट का विवरण प्रस्तुत किया गया उनके द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित इकाई द्वारा कच्चे माल के रूप में गन्ने का प्रयोग करते हुये चीनी उत्पादन 5000 टीसीडी एवं 27 मेगावाट कोजनरेशन द्वारा विद्युत उत्पादन का प्रस्ताव है । इकाई में वर्तमान केन क्रशिंग क्षमता 2750 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 5000टीसीडी करने(2750टन/दिन के स्थान पर 5000टन/दिन क्षमता को नया संयंत्र) के संबंध में पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा विस्तृत रूप से अवगत कराया गया कि उद्योग में वाष्प आपूर्ति हेतु 145टन/घंटा क्षमता का कुल 01 ब्वायलर स्थापना का प्रस्ताव है जिसमें बैगास 1550टन/दिन जलायी जायेगी । ब्वायलर पर वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु ईएसपी स्थापना का प्रस्ताव है ब्वायलर से संबद्व चिमनी की ऊंचाई भूतल से लगभग 70मीटर ऊंची होगी । इकाई से लगभग 27मेगावाट विद्युत जनरेशन स्थापना का प्रस्ताव है जिसमें 9.25मेगावाट का उपभोग स्वयं किया जायेगा एवं शेष 17.75मेगावाट को पावर ग्रिड के माध्यम से आसपास के क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति हेतु भेज दिया जायेगा ।

तदोपरांत क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लोकसुनवाई में उपस्थित क्षेत्रवासियों से अनुरोध किया गया कि परियोजना के संबंध में उन्हें कोई आपत्ति/सुझाव व्यक्त करना है तो कृपया अपना नाम व पता अवगत कराते हुये अपनी आपत्ति /सुझाव रखने का कष्ट करें जिसके उपरांत अनेक क्षेत्रवासियों द्वारा पैनल के समक्ष अपनी बात रखी गयी जिसका विवरण निम्नवत है।

प्रश्न– श्री मनोज कुमार निवासी ग्राम सूप, बड़ौत, बागपत द्वारा पूछा गया कि चीनी मिल से उत्पादित होने वाली बिजली को गांव में सप्लाई किया जायेगा या नहीं एवं उक्त विद्युत आपूर्ति हेतु कोई अलग से चार्ज तो नहीं देना पड़ेगा।

उत्तर–श्री विनोद कुमार, प्रधान प्रबंधक द्वारा अवगत कराया गया कि इकाई से जनित होने वाली कुल 27मेगावाट विद्युत में से कुल 9.25मेगावाट विद्युत को इकाई द्वारा स्वयं प्रयोग किया जायेगा एवं शेष 17.25मेगावाट को पावर ग्रिड को सप्लाई कर दिया जायेगा एवं विद्युत आपूर्ति से जो भी लाभ होगा उससे गन्ने का भुगतान किया जायेगा अभी हम गन्ने के भुगतान में पीछे चल रहे है हम समय से गन्ने का भुगतान कर सकेगें ।

प्रश्न– श्री ओम सिंह , डायरेक्टर द्वारा पूछा गया कि उद्योग द्वारा जो इकाई से जनित होने वाली छाई के संबंध में प्रभावी रोकथाम की जाये जिससे कि छाई आसपास के क्षेत्र जमा न होने पाये ।

उत्तर– क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ द्वारा अवगत कराया गया कि उद्योग द्वारा प्रस्तावित आधुनिक तकनीक के अनुसार इकाई में ईएसपी लगाया जायेगा जिससे इकाई से जनित होने वाली छाई पर प्रभावी नियंत्रण होगा ।

प्रश्न–श्री ब्रहम सिंह निवासी ग्राम नाला– द्वारा पूछा गया कि उद्योग के संचालन इसे उड़ने वाले गरदा के प्रभावी नियंत्रण हेतु क्या कार्यवाही की जायेगी जिससे कि प्रदूषण न बढ़ एवं आसपास के निवासियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े ।

उत्तर– उद्योग के तकनीकी सलाहकार द्वारा बताया गया कि इकाई के संचालन के समय वायुप्रदूषण के प्रभावी नियंत्रण हेतु इकाई में ईएसपी की स्थापना की जायेगी जिससे कि वायु प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके एवं आसपास के निवासियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े ।

प्रश्न– श्री राजबीर सिंह निवासी ग्राम कनियान–द्वारा पूछा गया कि उद्योग से निकलने एथनाल प्लांट हेतु क्या कार्यवाही की जायेगी।

उत्तर– परामर्शी द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में इकाई की पुरानी क्षमता 2750 को बढ़ाकर 5000टीसीडी किया जा रहा है एवं इकाई में एथनाल के उत्पादन हेतु कोई प्रस्ताव नहीं है ।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा लोकसुनवाई में उपस्थित जनसमुदाय से पूछा गया कि मै0रमाला सहकारी चीनी मिल्स, रमाला, बागपत की वर्तमान क्षमता 2750 टीसीडी से बढ़ाकर 5000टीसीडी तथा विद्युत कोजनरेशन 27मेगावाट के स्थापना के संबंध में यदि आपलोग सहमत हैं तो अवगत कराये एवं असहमत हैं तब भी अवगत

करायें एवं अन्य कोई सुझाव/टीका टिप्पणी हेतु आमंत्रित किया गया । लोकसुनवाई में उपस्थित समस्त जनसमुदाय द्वारा हाथ उठाकर परियोजना की स्थापना हेतु अपनी सहमति व्यक्त की गयी ।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा आयोजित लोकसुनवाई के अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया गया कि आयोजित लोकसुनवाई में उपस्थित जनसमुदाय का मार्गदर्शन करना चाहेगें ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को अवगत कराया गया कि मै0रमाला सहकारी चीनी मिल्स लि0 में गन्ना पेराई क्षमता 2750 टीसीडी से बढ़ाकर 5000टीसीडी तथा विद्युत कोजनरेशन 27मेगावाट की स्थापना से इस क्षेत्र में गन्ना की खपत को देखते हुये परियोजना से आसपास के ग्रामवासियों को लाभ होगा तथा क्षेत्र का विकास होगा । अग्रेतर उपस्थित जनसमुदाय से पूछा गया कि यदि आपलोग सहमत हैं तो अवगत कराये एवं असहमत हैं तब भी अवगत करायें एवं अन्य कोई सुझाव/टीका टिप्पणी हेतु आमंत्रित किया गया ।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति के उपरांत लोकसुनवाई के समापन की घोषणा की गयी ।

05/03/19
(आर0के0त्यागी)
क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
मेरठ

5/3/19
(अनिल कुमार मिश्र)
अपरजिलाधिकारी(वि0/रा0)
बागपत